5-10-19 पत्रावली पेश हुई। बादी श्री [illegible]
को पहली बार [illegible] पर आवेदन
गठवाई गई। [illegible] उपस्थित नहीं
उपस्थित नहीं।

अतः बादी वादी पक्ष [illegible] के
आदम इलाही व आदम [illegible] को
अधिकृत किया जाता है।

पत्रावली फैसल में आगामी तारीख
[illegible] को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner